



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-953

New Delhi: 04.10.2021

**Sh. Gauri Shanker Maloo**  
**S/o Sh. Ramprasad Maloo**  
**Narayan, Jila- Jaipur-**  
**Rajasthan-303348**  
**Mobile-9414516558**

**Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.**

Reference: Your RTI application dated 28.08.2021 and received in this office 07.09.2021.

Information, as obtained from the concerned record holding office, is attached.

First Appeal if any may be made to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply. The name, designation & address of the First Appellate Authority is as under;

**Ms. R. P. Chhibber**  
**GGM/Administration DFCCIL,**  
**5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,**  
**Pragati Maidan, New Delhi-110001.**

**DA: 01 sheets**

**(S.K. Panda)**

**JGM/Admn.(CPIO)**

**Mob.-9717636811**

**E-mail: [skpanda@dfcc.co.in](mailto:skpanda@dfcc.co.in)**

नोट


दिनांक 27.09.2021

| आवेदक का नाम: गौरीशंकर मालू, नारायना, जिला जयपुर, राजस्थान |   |   |
|--|---|---|
| क्र.स  | मांगी गई जानकारी  | उत्तर   |
| 1.   | उक्त दोनों परियोजनाओं के मार्ग में जो हरे पेड़ आए हैं उनको कटवाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं उनके अधिकारियों से जो स्वीकृति ली गई उन समस्त स्वीकृतियों की सूचना दिलाएं तथा संबंधित पत्रावलियों की समान नोटशीटों की सूचना दिलावें। | पेड़ काटने की स्वीकृतियां संबंधित राज्य सरकारों एवं उनके अधिकारियों से ली गई है और कुछ स्वीकृतियां लेने की प्रक्रिया अभी जारी है प्राप्त स्वीकृतियों की संख्या अधिक होने के कारण आवेदक अगर चाहे तो कार्यालय में उपस्थित हो कर उनका अवलोकन कर सकता है या स्वीकृतियों की प्रतियों की फोटो प्रतियां अपने खर्चे पर मंगवा सकता है। |
| 2.   | उक्त दोनों परियोजनाओं के मार्ग में आने वाले कुल कितने हरे पेड़ पौधों को काटा / उखाड़ा गया उसकी सूचना दिलावें।   | उक्त दोनों परियोजनाओं के मार्ग में आने वाले कुल 2,59,031 पेड़ / पौधों को काटा गया है।   |
| 3.   | उक्त दोनों परियोजनाओं के मार्ग में आने वाले हरे पेड़ों को काटने के बाद अभी तक कितने पेड़ वापस लगाए गए और कितने पेड़े मौके पर मौजूद हैं संपूर्ण सूचना दिलावें  | दोनों परियोजनाओं के मार्ग में अभी तक करीब तीन लाख पचास हजार पौधें डीएफसी द्वारा लगाए गए है इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा भी लगभग एक लाख पौधों को रोपित किया गया है। डीएफसी द्वारा मौके पर मौजूद पेड़ों के सर्वे की प्रक्रिया जारी है।   |
| 4.   | उक्त काटे / उखाड़े गए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ लगाने में राशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया था, उसकी सूचनाएं दिलावें।   | चूंकि यह लक्ष्य वन विभाग व डीएफसीसीआईएल दोनों को तय करना होता है, इसलिए यह स्पष्ट जानकारी देना संभव नहीं है। इस पर अनुमानित राशि 189 करोड़ है। राशि खर्च करने की प्रक्रिया वर्तमान में भी चल रही है।  |
| 5.   | उक्त काटे / उखाड़े गए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस पत्रावली की समस्त नोटशीटों की सूचना दिलावें।  | वन विभाग के नियमों के अंतर्गत देश भर के राज्यों एवं उनके जनपदों में पौधे रोपने का अलग-अलग प्रावधान है। प्रक्रिया विस्तृत होने के कारण आवेदक अगर चाहे तो कार्यालय में उपस्थित हो कर उनका अवलोकन कर सकता है या पत्रावली की प्रतियों की फोटो प्रतियां अपने खर्चे पर मंगवा सकता है।   |

28/09/2021

महाप्रबंधक / भूमि एवं जन शिकायत

उप महाप्रबंधक / प्रशासन (जन सूचना अधिकारी)

  
4/10